

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औद्योगिक संबंध समूह)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.स/02060(खंड-II)/2017

23 सितंबर, 2020

कार्यालय आदेश सं.:औ.सं/27/2020

विषय: वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश लेने के संबंध में।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते परिपत्र सं.औ.स/13/2018 दिनांक 06.07.2018 में आंशिक संशोधन करने हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

- i) 'किसी भी कर्मचारी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश तीन बार से अधिक नहीं लिया जाएगा' के पूर्ववर्ती प्रावधान को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है;
 - ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना एक दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति दी जाएगी। कर्मचारी द्वारा इस सुविधा का लाभ एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 बार लिया जा सकता है।
2. उपर्युक्त को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू किया जाएगा।
 3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(Handwritten Signature)
23/9/2020
(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

ई-मेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशकगण/मुख्य सर्तकता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- उप महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एशोसिएशन
- महासचिव, कर्मचारी संघ
- महासचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती कर्मचारी संघ
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.: NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION
(I.R. GROUP)

STC/CO/PER/IR/02060(Vol-II)/2017


September 23, 2020

CIRCULAR No.: IR/ 27/2020

Subject: Availing of EL/HPL number of times in a year

In partial modification of Circular No.: IR/13/2018 dated 06.07.2018 due to ongoing COVID-19 pandemic, the following has been decided:

- i) The earlier provision '*Earned Leave can be availed by an employee in a calendar year for not more than three occasions*' stands withdrawn forthwith;
 - ii) One day medical leave will be allowed without production of medical certificate. This facility can be availed by employees on a maximum of 10 occasions during a Calendar year.
2. The above will be implemented with immediate effect, till further orders.
 3. This issues with the approval of the Competent Authority.


(S.K. Meena) 23/9/2020

Jt. General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to:

- DGM(F)(A&E), CO
- GS, STC Officers' Association
- GS, STC Employees' Union
- GS, SC/ST Employees' Association
- Notice Board
- Website